न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

...न अधिकारीः– श्री राम सिंह राजावत (आर.ए.एस.)
...0सी0एम0एसः–2019/00749
मुकदमा नम्बरः– 318/2019

1. रमेश कुमार सैनी पुत्र गोपालराम सैनी जाति माली निवासी छापौली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

वादी......

बनाम

1. तहसीलदार महोदय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं(राज0)
2. अमरा पुत्र गोपाल जाति माली निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
3. बरजी पत्नी गोपाल जाति माली निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
4. बीरबल पुत्र गोपाल जाति माली निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
5. मनोहर पुत्र गोपाल जाति माली निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
6. लाला पुत्र गोपाल जाति माली निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

प्रतिवादीगण ....

दावा बाबत् घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती नाम

निर्णय दिनांकः–11.08.2021

वादी ने जरिये वकील वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में वर्तमान भूमी खसरा नम्बर पुराना 2591, 2601, 2610 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5700 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में वादी का हिस्सा 1/24 तथा अवशेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 का है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दर्ज है, जिसको लेकर कोई विवाद नहीं हैं। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रमेश कुमार सैनी पुत्र गोपालराम सैनी के बजाय मुकेश पुत्र गोपाल दर्ज रिकार्ड है जो गलत दर्ज रिकार्ड है। इस कारण वादी किसी भी सरकारी योजना का लाभ नही उठा पा रहा है। वादी को बचपन में रमेश एवं मुकेश दोनो नामों से ही पुकारा जाता था। सभी लाड प्यार से मुकेश ही कहते थे, लेकिन सही नाम रमेश कुमार सैनी था। लेकिन उक्त वर्णित भूमि का विरासतन नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों ने वादी का नाम रमेश कुमार सैनी के बजाय मुकेश नाम से दर्ज कर दिया।

राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य सभी दस्तावेजों यथा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत छापौली, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि में वादी का नाम रमेश कुमार सैनी अंकि... में निवेदन किया है कि ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में वर्तमान भूमी खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:02:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned with CamScanner

...91, 2601, 2610 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5700 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज ...का नाम मुकेश पुत्र गोपाल के बजाय रमेश कुमार सैनी पुत्र गोपाल राम सैनी घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 ने जरिये अधिवक्ता सुरेश कुमार सैनी इकबालिया जबाव दावा इस आशय का पेश किया कि वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने पर उन्हें कोई एतराज आपत्ति नहीं है। तहसीलदार उदयपुरवाटी बावजूद तामील न्यायालय में हाजीर नहीं आए अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी रमेश कुमार सैनी ने साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश किया।

बहस वादपत्र पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादी ने प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रमेश कुमार सैनी पुत्र गोपाल राम सैनी के बजाय मुकेश पुत्र गोपाल दर्ज रिकार्ड है, जो गलत दर्ज रिकार्ड है। वादी के समस्त दस्तावेजों यथा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत छापौली, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पासपोर्ट, शपथ पत्र वादी स्वंय में वादी का नाम रमेश कुमार सैनी पुत्र गोपालराम सैनी दर्ज है। अतः ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित वर्तमान भूमी खसरा नम्बर पुराना 2591, 2601, 2610 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5700 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम मुकेश पुत्र गोपाल के वजाय रमेश कुमार सैनी पुत्र गोपाल राम सैनी घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 ने कथन किया किया कि वादी का वाद स्वीकार किये जाने पर उन्हें कोई एतराज नहीं है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में वर्तमान भूमी खसरा नम्वर पुराना 2591, 2601, 2610 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5700 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मुकेश पुत्र गोपाल दर्ज रिकार्ड है, राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अलावा अन्य दस्तावेजों यथा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत छापौली, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पासपोर्ट, शपथ पत्र वादी स्वंय में वादी का सही नाम रमेश कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:02:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

गोपालराम सैनी अंकित है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से साबित वादी का सही नाम रमेश कुमार सैनी है तथा रमेश कुमार सैनी एवं मुकेश दो अलग अलग व्यक्ति ना होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी का नाम मुकेश पुत्र गोपाल के बजाय रमेश कुमार सैनी पुत्र गोपालराम सैनी घोषित किया जाना उचित प्रतित होता है। उक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम छापौली पटवार हल्का छापौली तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित वर्तमान भूमी खसरा नम्बर पुराना 2591, 2601, 2610 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5700 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम मुकेश पुत्र गोपाल के बजाय रमेश कुमार सैनी पुत्र गोपाल राम सैनी घोषित किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:02:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner